मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खंड XXI अंक 1 अप्रैल 2025

एमसीआईआर

विषय-वस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1-2
II. विनियम	3
III. विदेशी मुद्रा	3
IV. जन जागरूकता	3
V. मुद्रा जारीकर्ता	4
VI. प्रकाशन	4
VII. जारी आंकड़े और सर्वेक्षण	4

संपादक की कलम से

इस अंक में हम आपको एमपीसी बैठक की मुख्य बातें बता रहे हैं। गवर्नर ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति को स्थिर करने तथा संवृद्धि की बहाली में भारत की निरंतर प्रगति पर जोर दिया। मौद्रिक नीति समिति ने बहाली को समर्थन प्रदान करने के लिए एक निभावकारी रुख अपनाया। चलनिधि की स्थिति में सुधार हुआ है और वित्तीय प्रणाली मजबूत और आघात-सह बनी हुई है। वैश्विक चुनौतियों के बीच सेवा निर्यात और विप्रेषण भारत के बाह्य क्षेत्र का समर्थन कर रहा है।

हम सटीक जानकारी साझा करने, गहन समझ को बढ़ावा देने और संपर्क में बने रहने के अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

पुनीत पंचोली
संपादक

I. मौद्रिक नीति

9 अप्रैल 2025 को गवर्नर का मौद्रिक नीति वक्तव्य

श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर ने 9 अप्रैल 2025 को मौद्रिक नीति वक्तव्य दिया। अपने आरंभिक उद्बोधन में गवर्नर ने बढ़ते व्यापार दबाव, कमज़ोर होते अमेरिकी डॉलर, गिरते कच्चे तेल की कीमतों और विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में अलग-अलग मौद्रिक नीतियों के कारण अस्थिर वैश्विक माहौल पर प्रकाश डाला। इन घटनाक्रमों के प्रति सतर्क रहते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भारत की आर्थिक यात्रा में अपनी उभरती भूमिका को दर्शाते हुए, अपने 90वें स्थापना दिवस के साथ वर्ष की शुरुआत की। घरेलू स्तर पर, भारत ने मूल्य स्थिरता और संवृद्धि की दिशा में प्रगति की है, खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट ने कुछ राहत प्रदान की है। तथापि, वैश्विक अनिश्चितताओं और संभावित मौसम संबंधी जोखिमों के कारण रिज़र्व बैंक सतर्क बना हुआ है, भले ही संवृद्धि पिछले वर्ष की मंदी से बहाली के संकेत दे रही हो।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय और विचार-विमर्श

एमपीसी ने संवृद्धि को समर्थन देते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ संरेखित करने के लिए अपने रुख को बदलकर 'निभावकारी' करते हुए नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंक घटाकर 6.25 प्रतिशत से 6.00 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.75 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.25 प्रतिशत पर बनी हुई है।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति के आकलन पर टिप्पणी करते हुए गवर्नर ने कहा कि 2024-25 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष में देखी गई 9.2 प्रतिशत की संवृद्धि दर से ऊपर 6.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। 2025-26 में, जलाशय के बेहतर स्तरों और फसल उत्पादन में मजबूती के कारण कृषि क्षेत्र की संभावनाएं उज्ज्वल बनी हुई हैं। विनिर्माण गतिविधि में बहाली के संकेत दिख रहे हैं, साथ ही व्यावसायिक प्रत्याशा मजबूत बनी हुई है, जबकि सेवा क्षेत्र की गतिविधि आघात-सहनीय बनी हुई है। खाद्य मुद्रास्फीति में तीव्र सुधार के बाद जनवरी-फरवरी 2025 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी आई। खाद्य मुद्रास्फीति संबंधी संभावना निर्णायक रूप से सकारात्मक हो गई है। रबी फसलों से संबंधित अनिश्चितताएँ काफी हद तक कम हो गई हैं और दूसरे अग्रिम अनुमान पिछले वर्ष की तुलना में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन और प्रमुख दालों के अधिक उत्पादन की ओर इशारा करते हैं।

चलनिधि और वित्तीय बाज़ार की स्थितियाँ

चलनिधि और वित्तीय बाज़ार की स्थिति के बारे में बात करते हुए, गवर्नर ने कहा कि जनवरी 2025 में प्रणाली में चलनिधि की कमी थी और चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत निवल अंतर्वेशन 23 जनवरी 2025 को 3.1 लाख करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। तथापि, लगभग 6.9 लाख करोड़ रुपये की चलनिधि अंतर्वेशित करने वाले कई उपायों के परिणामस्वरूप, फरवरी-मार्च 2025 के दौरान प्रणाली में चलनिधि की कमी घट गई और 29 मार्च 2025 को यह अधिशेष में बदल गई। मार्च के उत्तरार्ध में सरकारी व्यय में तेजी आने के साथ ही प्रणालीगत चलनिधि में और सुधार हुआ तथा 7 अप्रैल 2025 तक यह 1.5 लाख करोड़ रुपये के अधिशेष पर पहुंच गई।

वित्तीय स्थिरता

गवर्नर ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय सुदृढ़ता के मापदंड मजबूत बने हुए हैं। बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि बफर विनियामक सीमा से काफी ऊपर है। लाभप्रदता संकेतक भी स्वस्थ हैं जो प्रणाली की मजबूत परिचालन दक्षता को दर्शाते हैं। इसी तरह, एनबीएफसी के प्रणाली-स्तरीय मापदंड भी मजबूत हैं।

बाह्य क्षेत्र

गवर्नर ने कहा कि जनवरी-फरवरी 2025 में भारत का सेवा निर्यात आघात-सह बना रहा, जिसका श्रेय सॉफ्टवेयर, व्यापार और परिवहन सेवाओं को जाता है। आगे चलकर, निवल सेवाओं और विप्रेषण प्राप्तियों के बड़े अधिशेष में रहने की आशा है, जो आंशिक रूप से व्यापार घाटे की भरपाई करेगा। 2024-25 और 2025-26 के लिए सीएडी के टिकाऊ स्तर के भीतर रहने की आशा है। वित्तपोषण पक्ष पर, सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 2024-25 में 24 अप्रैल से 25 जनवरी की अवधि के दौरान मजबूत रहा, जो भारत के मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों को दर्शाता है। तथापि, इस अवधि के दौरान अधिक प्रत्यावर्तन और जावक एफडीआई के कारण निवल एफडीआई में तेजी से कमी आई। वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में निवल एफपीआई अंतर्वाह 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसे ऋण अंतर्वाह से समर्थन मिला, जबकि इक्विटी खंड में निवल बहिर्वाह दर्ज किया गया। दूसरी ओर, बाह्य वाणिज्यिक उधार और अनिवासी जमा में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक निवल अंतर्वाह देखा गया। पूरा वक्तव्य पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

एमपीसी का संकल्प

वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर, एमपीसी ने 9 अप्रैल 2025 को अपनी बैठक में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक घटाकर 6.00 प्रतिशत कर दिया; परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.75 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.25 प्रतिशत तक समायोजित हो गई;

एमपीसी ने रुख को तटस्थ से बदलकर निभावकारी करने का भी निर्णय लिया। तथापि, इसने कहा कि तेजी से विकसित हो रही स्थिति के लिए आर्थिक संभावना की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन की आवश्यकता है। यह निर्णय संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के लिए +/- 2 प्रतिशत के दायरे में 4 प्रतिशत के मध्यम अवधि लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुरूप है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियां

यह वक्तव्य (i) विनियमन; (ii) भुगतान प्रणाली; और (iii) फिनटेक से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है।

i) विनियमन

1. दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण का ढांचा

विवेकपूर्ण ढंग से संरचित प्रतिभूतिकरण लेनदेन दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए एक सक्षमकर्ता हो सकता है क्योंकि इससे जोखिम वितरण में सुधार होने और ऋणदाताओं के लिए ऐसे एक्सपोज़रों से बाहर निकलने का मार्ग प्रदान करने की आशा है। इस उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2023 में दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण ढांचे पर एक चर्चा पत्र जारी किया था, ताकि ढांचे के विभिन्न पहलुओं पर बाजार सहभागियों से टिप्पणियां मांगी जा सकें। चर्चा पत्र पर हितधारकों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए, दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए ढांचे का मसौदा सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया जा रहा है। इस ढांचे का उद्देश्य सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वर्तमान एआरसी मार्ग के अलावा, बाजार-आधारित तंत्र के माध्यम से दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण को सक्षम करना है।

2. सह-उधार व्यवस्था (सीएलए) का ढांचा

सह-उधार पर मौजूदा दिशा-निर्देश केवल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए बैंकों और एनबीएफसी के बीच व्यवस्थाओं पर लागू होते हैं। इस तरह की उधार पद्धतियों के विकास और एक व्यापक क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को स्थायी तरीके से पूरा करने में इस तरह की उधार व्यवस्था की क्षमता को देखते हुए, सह-उधार के दायरे का विस्तार करने और आरई के बीच सभी प्रकार की सह-उधार व्यवस्थाओं के लिए एक सामान्य विनियामक ढांचा जारी करने का निर्णय लिया गया है। दिशानिर्देशों का मसौदा सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया जा रहा है।

3. स्वर्ण आभूषणों के बदले उधार देने संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा

स्वर्ण आभूषणों और गहनों के संपार्श्विक के बदले ऋण, विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा उपभोग और आय-अर्जन दोनों उद्देश्यों के लिए दिए जाते हैं। ऐसे ऋणों के लिए समय-समय पर विवेकपूर्ण और आचरण संबंधी विनियमन जारी किए गए हैं और वे विभिन्न श्रेणियों के आरई के लिए अलग-अलग हैं। आरई की जोखिम लेने की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए सभी आरई के लिए ऐसे विनियमनों को सुसंगत बनाने और साथ ही देखी गई कतिपय चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से, ऐसे ऋणों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों और आचरण संबंधी पहलुओं पर व्यापक विनियमन जारी करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में दिशानिर्देशों का मसौदा सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया जा रहा है।

4. गैर-निधि आधारित सुविधाओं की समीक्षा

गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सुविधाएं जैसे गारंटी, साखपत्र, सह-स्वीकृति आदि, प्रभावी ऋण मध्यस्थता को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, साथ ही व्यापार लेनदेन सहित निर्बाध कारोबारी लेनदेन को सक्षम बनाती हैं। अब सभी विनियमित संस्थाओं में इन सुविधाओं को शामिल करने वाले दिशानिर्देशों को सुसंगत बनाने और समेकित करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित दिशानिर्देशों में आरई द्वारा आंशिक ऋण वृद्धि जारी करने संबंधी अनुदेशों की समीक्षा शामिल है, जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए निधीयन स्रोतों को व्यापक बनाना है। इस संबंध में दिशानिर्देशों का मसौदा सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया जा रहा है।

ii) भुगतान प्रणाली

5. यूपीआई में लेनदेन की सीमा बढ़ाना

वर्तमान में, यूपीआई के लिए लेनदेन राशि, जिसमें व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) और व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) दोनों भुगतान शामिल हैं, की सीमा ₹1 लाख है, पी2एम भुगतान के विशिष्ट उपयोग मामलों को छोड़कर, जिनकी सीमा अधिक है, कुछ के लिए ₹2 लाख और अन्य के लिए ₹5 लाख है। पारितंत्र को नए उपयोग मामलों के लिए कुशलतापूर्वक प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाने के लिए, यह प्रस्तावित है कि एनपीसीआई, बैंकों और यूपीआई पारितंत्र के अन्य हितधारकों के परामर्श से, उपयोगकर्ता की बदलती जरूरतों के आधार पर ऐसी सीमाओं की घोषणा और संशोधन कर सकता है। उच्चतर सीमाओं से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। बैंकों को एनपीसीआई द्वारा घोषित सीमाओं के भीतर अपनी आंतरिक सीमाएँ तय करने का विवेकाधिकार जारी रहेगा। यूपीआई पर पी2पी लेनदेन की सीमा पहले की तरह ₹1 लाख ही रहेगी। एनपीसीआई को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

iii) फिनटेक

6. विषय तटस्थ विनियामक सैंडबॉक्स के अंतर्गत 'ऑन-टैप' आवेदन सुविधा

रिज़र्व बैंक 2019 से विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) ढांचे का संचालन कर रहा है, और अब तक चार विशिष्ट विषयगत कोहोर्ट की घोषणा की गई है और उन्हें पूरा किया गया है। बंद कोहोर्ट के विषय के लिए 'ऑन टैप' आवेदन सुविधा की घोषणा अक्तूबर 2021 में की गई थी। आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट समय- सीमा के साथ पांचवें 'विषय तटस्थ' कोहोर्ट की भी अक्तूबर 2023 में घोषणा की गई थी, जो मई 2025 में बंद हो जाएगी। इस कोहोर्ट के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक के विनियामक दायरे में किसी भी नवोन्मेषी उत्पाद या समाधान, यदि वह योग्य पाया जाता है, का परीक्षण किया जा सकता है। प्राप्त अनुभव और हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, अब विनियामक सैंडबॉक्स को 'विषय तटस्थ' और 'ऑन टैप' बनाने का प्रस्ताव है। इस पहल से निरंतर नवाचार को बढ़ावा मिलने और तेजी से विकसित हो रहे फिनटेक/ विनियामक परिदृश्य के साथ तालमेल बनाए रखने की आशा है। इस संबंध में अतिरिक्त विवरण अलग से सूचित किए जाएंगे।

एमपीसी का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति की 54वीं बैठक 7 से 9 अप्रैल 2025 के दौरान आयोजित की गई।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक ने 23 अप्रैल 2025 को, अर्थात् एमपीसी की बैठक के 14वें दिन, बैठक का कार्यवृत्त प्रकाशित किया।

एमपीसी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपभोक्ता विश्वास, परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा, कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्यनिष्पादन, ऋण की स्थिति, औद्योगिक, सेवाओं और आधारभूत संरचना क्षेत्रों की संभावनाएं और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुमानों का आकलन करने के लिए किए गए सर्वेक्षणों की समीक्षा की। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

उप गवर्नर की नियुक्ति

भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उप-धारा (4) के साथ पठित उप-धारा (1) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. पूनम गुप्ता, महानिदेशक, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है।

II. विनियम

एसडीआरपी में घोषित विनियामक उपायों से संबंधित निदेशों के मसौदे

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विषयों पर निदेशों के मसौदों को जारी किया है: i.भारतीय रिज़र्व बैंक (दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2025; ii.भारतीय रिज़र्व बैंक (सह-उधार व्यवस्था) निदेश, 2025; iii.भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण संपार्श्विक के बदले उधार) निदेश, 2025; iv.भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025। निदेशों के मसौदों पर जनता/ हितधारकों से 12 मई 2025 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

कनेक्ट 2 रेगुलेट

रिज़र्व बैंक ने 9 अप्रैल 2025 को 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य नीति निर्माण में जन सामान्य और अन्य हितधारकों की सहभागिता को और बढ़ाना तथा विनियामक वातावरण को अधिक परामर्शी बनाने की दिशा में एक और सक्रिय कदम उठाना है। यह जन सामान्य, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों को केस स्टडी, कॉन्सेप्ट नोट्स आदि सहित किसी भी रूप में अपने विचार, इनपुट, प्रतिक्रिया या सुझाव साझा करने का अवसर प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

प्रवाह

रिज़र्व बैंक ने 11 अप्रैल 2025 को, विनियमित संस्थाओं (आरई) सहित सभी आवेदकों को सूचित किया कि वे 1 मई 2025 से, प्रवाह पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन प्रपत्रों का उपयोग कर, रिज़र्व बैंक को विनियामक प्राधिकरण, लाइसेंस और अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रवाह का उपयोग करें। जिन आवेदनों के लिए कोई विशिष्ट प्रपत्र उपलब्ध नहीं है, उन्हें सामान्य प्रयोजन फॉर्म द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए, पोर्टल पर ही यूसर मैनुअल, एफ़एक्यू एवं वीडियो उपलब्ध हैं। प्रवाह पोर्टल को https://pravaah.rbi.org.in पर एक्सैस किया जा सकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

प्रतिचक्रीय पूंजी बफर की आवश्यकता

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2025 को प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) संकेतकों की समीक्षा और अनुभवजन्य विश्लेषण के बाद इस समय सीसीवाईबी को सक्रिय न करने का निर्णय लिया। 5 फरवरी 2015 को जारी रूपरेखा, सीसीवाईबी को तब सक्रिय करने की सूचना देती है जब इसकी आवश्यकता हो, जिसमें अन्य संकेतकों द्वारा पूरक बनाते हुए ऋण की तुलना में जीडीपी के अंतर को प्राथमिक संकेतक के रूप में रखा गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

नाबालिगों के जमा खाते खोलना और उनका परिचालन

रिज़र्व बैंक ने 21 अप्रैल 2025 को नाबालिगों के जमा खाते खोलने और उनमें परिचालन के दिशानिर्देशों की समीक्षा की। विद्यमान दिशानिर्देशों की समीक्षा, वर्तमान दिशा-निर्देशों को तर्कसंगत और सुसंगत बनाने के उद्देश्य से की गई है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) ढांचे में संशोधन

रिज़र्व बैंक ने 25 जुलाई 2024 को जारी अपने परिपत्र के मसौदा पर प्रतिक्रिया के बाद 21 अप्रैल 2025 को चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) ढांचे के संशोधित दिशानिर्देश जारी किए, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। प्रमुख संशोधनों में, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग-सक्षम खुदरा और छोटे व्यवसाय जमा के लिए 2.5% अतिरिक्त रन-ऑफ दर, एलएएफ़ और एमएसएफ़ मार्जिन आवश्यकताओं के साथ सरकारी प्रतिभूतियों (स्तर 1 एचक्यूएलए) पर हेयरकट का संरेखण तथा न्यासों , भागीदारी और एलएलपी (100% से कम) जैसी गैर-वित्तीय संस्थाओं से थोक निधीयन के लिए 40% की कम रन-ऑफ दर शामिल है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

'.bank.in' डोमेन में माइग्रेशन

रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 फरवरी 2025 की विकासात्मक और विनियामक नीतियों में उल्लेख किए अनुसार 22 अप्रैल 2025 को बैंकों के लिए '.bank.in' इंटरनेट डोमेन के परिचालन की घोषणा की, जो कि साइबर सुरक्षा और डिजिटल बैंकिंग में जनता का विश्वास बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है। एमईआईटीवाई के अंतर्गत नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया (एनआईएक्सआई) द्वारा अधिकृत बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) इस डोमेन के लिए एकमात्र रजिस्ट्रार के रूप में काम करेगा। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे पंजीकरण हेतु sahyog@idrbt.ac.in पर आईबीआरबीटी से संपर्क करें और 31 अक्टूबर 2025 तक '.bank.in' डोमेन पर माइग्रेशन पूरा करें। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. विदेशी मुद्रा

संयुक्त अरब अमीरात में 'भारत मार्ट' के गोदाम (वेयरहाउस) के माध्यम से निर्यात

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 अप्रैल 2025 को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को संयुक्त अरब अमीरात में लॉजिस्टिक्स-आधारित बाज़ार 'भारत मार्ट' के माध्यम से निर्यात की सुविधा देने की अनुमति दी है, जिससे निर्यातकों को गोदाम से बिक्री की तारीख से नौ महीने के भीतर निर्यात के आय की वसूली एवं प्रत्यावर्तित करने की अनुमति मिलेगी। एडी बैंक, तर्कसंगतता की पुष्टि करने के बाद वैध आयातक निर्यातक कोड वाले भारतीय निर्यातकों को बिना किसी पूर्व शर्त के भारत मार्ट में आरंभिक और चालू व्यावसायिक परिचालन के लिए गोदाम खोलने/किराए पर लेने और धन प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. जन जागरूकता

आरबीआई ने व्हाट्सएप चैनल का शुभारंभ किया

रिज़र्व बैंक ने 4 अप्रैल 2025 को जन जागरूकता संदेश देने के लिए एक अतिरिक्त माध्यम के रूप में व्हाट्सएप चैनल का शुभारंभ किया। व्हाट्सएप पर सत्यापित 'भारतीय रिज़र्व बैंक' खाते के माध्यम से, आरबीआई का लक्ष्य महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी को सभी के लिए और अधिक सुलभ बनाना है, चाहे उनकी भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

उप गवर्नर की पुनर्नियुक्ति

केंद्र सरकार ने श्री टी. रबी शंकर को 3 मई 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया है।

V. मुद्रा जारीकर्ता

₹10 और ₹500 मूल्यवर्ग के बैंक नोट का निर्गम

रिज़र्व बैंक ने 4 अप्रैल 2025 को महात्मा गांधी (नई) शृंखला में ₹10 और ₹500 मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करने की घोषणा की, जिन पर श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे। इन नोटों की डिज़ाइन हर तरह से महात्मा गांधी (नई) शृंखला के ₹10 और ₹500 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों जैसी ही है। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

नोट सॉर्टिंग मशीनें: बीआईएस द्वारा जारी मानक

रिज़र्व बैंक ने 24 अप्रैल 2025 को "नोट सॉर्टिंग मशीन - भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी मानक" के संबंध में जारी परिपत्र में उल्लिखित निर्देशों के कार्यान्वयन की समय-सीमा को छह माह अर्थात् 1 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया। यह निर्णय कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों के संबंध मे विभिन्न बैंकों से प्राप्त अभ्यावेदनों के संज्ञान में लिया गया। अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

मुद्रा वितरण एवं विनिमय योजना के लिए प्रोत्साहन की रूपरेखा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 अप्रैल 2025 को आरबीआई अधिनियम, 1934 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्राधिकार के अंतर्गत दिशानिर्देश जारी किए, जिसका उद्देश्य मुद्रा प्रबंधन और सार्वजनिक सेवा में सुधार लाने के लिए स्वच्छ नोट नीति को बढ़ावा देना है। इसके समर्थन के लिए, आरबीआई ने मुद्रा वितरण और विनिमय योजना (सीडीईएस) की शुरुआत की है, जो एक प्रोत्साहन-आधारित रूपरेखा है, जिसे बैंक शाखाओं को मुद्रा वितरण और विनिमय से संबंधित ग्राहक सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु तैयार किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

एटीएम के माध्यम से ₹100 और ₹200 मूल्यवर्ग के बैंकनोट

रिज़र्व बैंक ने 28 अप्रैल 2025 को सभी बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों (डब्ल्यूएलएओ) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके एटीएम निम्नलिखित माइलस्टोन के अनुसार नियमित आधार पर ₹100 और ₹200 मूल्यवर्ग के बैंक नोट वितरित करें: i) 30 सितंबर 2025 तक: कुल एटीएम के 75% द्वारा कम से कम 1 कैसेट के माध्यम से ₹100 या ₹200 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों का वितरण। ii) 31 मार्च 2026 तक: कुल एटीएम के 90 % द्वारा कम से कम 1 कैसेट के माध्यम से ₹100 या ₹200 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों का वितरण। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. प्रकाशन

मौद्रिक नीति रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने 9 अप्रैल 2025 को मौद्रिक नीति रिपोर्ट 2025 जारी की। रिपोर्ट में चुनौतीपूर्ण वैश्विक और घरेलू परिस्थितियों के बीच भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की आर्थिक संभावना और नीतिगत रुख संबंधी जानकारी प्रदान की गई है। भू-राजनीतिक तनाव और बदलती वैश्विक आर्थिक नीतियों जैसे बाहरी जोखिमों का सामना करते हुए, रिपोर्ट में घरेलू मांग, निवेश और खपत में सुधार का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य स्तरों के भीतर बनाए रखने की संतुलित कार्यनीति पर जोर दिया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

आरबीआई बुलेटिन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 अप्रैल 2025 को अपने मासिक बुलेटिन का अप्रैल 2025 अंक जारी किया। बुलेटिन में द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (9 अप्रैल 2025), चार भाषण, चार आलेख और वर्तमान आँकड़े शामिल हैं। चार आलेख इस प्रकार हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. स्थायी जमा सुविधा के तीन वर्ष: कतिपय अंतर्दृष्टि; III. जलवायु नीति अनिश्चितता और ऊर्जा संबंधी पण्य कीमतों की बदलती गतिकी; और IV. भारत में ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास: अंतर को कम करना। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की संभावना 2023-24

रिज़र्व बैंक ने 23 अप्रैल 2025 को 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की संभावना 2023-24' शीर्षक से वार्षिक प्रकाशन का 11वाँ खंड जारी किया। इस प्रकाशन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूचित और गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के वित्तीय लेखा को शामिल किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. जारी आंकड़े और सर्वेक्षण

अप्रैल 2025 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े और सर्वेक्षण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं	शीर्षक
1	दिनांक 4 अप्रैल 2025, शुक्रवार तक भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
2	मार्च 2025 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
3	उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस)- मार्च 2025
4	मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण- मार्च 2025
5	समष्टि आर्थिक संकेतकों पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण – 93वें चक्र का परिणाम
6	ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण
7	सेवाएं और आधारभूत संरचना परिदृश्य सर्वेक्षण
8	औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण
9	ओबीआईसीयूएस सर्वेक्षण

पुनीत पंचोली द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।